राजस्थान–सरकार

न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्री विवेक व्यास (R.A.S.)

राजस्व मूल वाद संख्या नया :– 19/2020
दायरा तारीख – 09.07.2020
तारीख निर्णय– 09/5/2024

वादी :–

पखुसिंह पुत्र रूपसिंह जाति–रावत, आयु–वयस्क, निवासी–गवार तहसील–कुम्भलगढ, जिला–राजसमन्द, राजस्थान

विरूद्ध

प्रतिवादीगण :–

1. अमरदास पुत्र वरदादास आयु–वयस्क
2. कमला पत्नी सेसुदास आयु–वयस्क
3. बस्तीराम पुत्र वरदाराम आयु–वयस्क
4. बालुदास पुत्र वरदादास आयु–वयस्क
5. श्रवणदास पुत्र शेषुदास आयु–वयस्क
   जातिगण–साद, निवासीगण–कोट सोलंकियान तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राज.
6. तहसीलदार, देसूरी भूमिधारी राज्य सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से वकील बादशाह अली पठान।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील फिरोज खान।

दिनांक–9/5/2024

निर्णय (अन्तिम–डिक्री)

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा– 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा ग्राम कोट सोलंकियान, पटवार हल्का कोट सोलंकियान तहसील – देसूरी जिला –पाली राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाय 5 की कृषि भूमि आराजियात खसरा नम्बर 385 रकबा 2.6600 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 386 रकबा 0.7000 हेक्टर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.3600 हेक्टर लगान रूपये 16.80/– की संयुक्त खातेदारी की विद्यमान है।

9.5.2024

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर...

Scanned with OKEN Scanner

यह कि वादग्रस्त आराजी में वादी की खातेदारी का 749/990 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 28/135 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/495 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 83/5940 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 2/495 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 19/1188 वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी का विद्यमान है। जो प्रमाणस्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2073–76 संलग्न प्रस्तुत है।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 5 की उपरोक्त खातदेारी हिस्सेनुसार संयुक्त खातदेारी आधिपत्य की अविभाजित है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण का अपने – अपने हिस्सानुसार भूमि पर काश्त चला आ रहा है किन्तु वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया हुआ नहीं है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से लगाय 5 अपनी मनमर्जी पर आमादा है एवं वादी के कब्जा काश्त में नाजायज दखलन्दाजी करने पर तुले हुए है। जिससे वादी वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके स्थिति, उपयोगिता एवं रास्ता आदि को मध्यजनर रखते हुए विभाजन करवाकर अपनी खातेदारी के 749/990 हिस्से का पृथक बंट करवाना चाहता है जिसका वादी को हक अधिकार है। अतः वादी यह वादग्रस्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स रिकॉर्डली मौके स्थिति, उपयोगिता एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया है।

प्रकरण हाजा मे दिनांक–15.04.2021 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि– वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद ग्राम कोटसोलंकियान, पटवार हल्का कोटसोलंकियान तहसील–देसूरी, जिला–पाली के खसरा नम्बर 385 रकबा 2.6600 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 386 रकबा 0.7000 हेक्टर किस्म बारानी दोयम , कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.3600 हेक्टर लगान रूपये 16.80/– में वादी की खातेदारी का 749/990 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 28/135 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/495 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 83/5940 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 2/495 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 19/1188 वां हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त आरजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सानुसार मौका स्थिति, उपयोगिता, रास्ता आदि को मध्यनजर रखते हुए कानूनन बाई मिट्ण एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा कर प्रस्ताव मय नक्शा पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुए दो–दो प्रतियों में इस भिजवावे।

तहसीलदार देसूरी के पत्रांक/राजस्व/2023/560 दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। बंटवाडा प्रस्ताव रिपोर्ट में अंकित नोट अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 कमला पत्नी सेसुदास का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 श्रवणदास पुत्र शेषुदास के नाम नामान्तरण संख्या

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

1179 के द्वारा दर्ज हुआ है। बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया गया। न्यायालय की राय में माफीक प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार वाद अंतिम डिकी योग्य है।

—: आदेश :—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम कोट सोलंकियान, पटवार हल्का कोट सोलंकियान तहसील – देसूरी जिला –पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 385 रकबा 2.6600 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 386 रकबा 0.7000 हेक्टर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.3600 हेक्टर की वादग्रस्त आराजी का माफीक तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नजरी नक्शानुसार वाद में अंतिम डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती हैः—

क्र.स.	पक्षकार (वादी)	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)	किस्म	लगान (रूपये में)	रंग
1.	पखुसिंह पुत्र रूपसिंह, जाति– रावत, सा. गवार, तह. कुम्भलगढ, जिला–राजसमंद खातेदार हिस्सा –पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा पाली–2 रिजनल ऑफिस बागोल	385 386	2.1600 0.3821	बा.दो बा.दो	10.80 1.9100	भूरा
कुल		**02**	**2.5421**	—	**12.71**	
	पक्षकार (प्रतिवादीगण)					
2	1. अमरदास पुत्र वरदादास, जाति–साद, हिस्सा– 616/723 सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया देसूरी 2. श्रणदास पुत्र शेषुदास जाति– साद, हिस्सा–107/1446 सा.देह खातेदार 3. बस्तीराम पुत्र वरदादास, जाति– साद, हिस्सा– 83/1446 सा.देह खातेदार 4. बालुदास पुत्र वरदादास, जाति– साद, हिस्स– 4/241 सा.देह खातेदार	385/1 386/1	0.5000 0.3179	बा.दो बा.दो	2.50 1.59	हरा
		02	**0.8179**	—	**4.09**	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 04 पर...

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्तानुसार निर्णय एवं बंटवाडा की अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 16.80 रूपयें का पांच गुना पर देय मुद्रांक के बतौर रूपये 100/– के नोन ज्यूडिश्यल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

(विवेक व्यास) RAS
सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 09/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

9.5.2024
सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास श्री विवेक व्यास आर.ए.एस

वादी	**ब ना म**	**प्रतिवादीगण**
पखुसिंह पुत्र रूपसिंह, जाति –रावत ,आयु– वयस्क, निवासी – गवार तहसील–कुम्भलगढ,जिला– राजसमन्द , राजस्थान		1. अमरदास पुत्र वरदादास आयु–वयस्क 2. कमला पत्नी सेसुदास आयु–वयस्क 3. बस्तीराम पुत्र वरदाराम आयु–वयस्क 4. बालुदास पुत्र वरदादास आयु–वयस्क 5. श्रवणदास पुत्र शेषुदास आयु–वयस्क जातिगण–साद,निवासीगण–कोट सोलंकियान तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राज. 6. तहसीलदार, देसूरी भूमिधारी राज्य सरकार

दावा बाबत 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– 19/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादी श्री बादशाह अली पठान मुदई .... मिनजाविब मुद्दायलाह अधिवक्ता श्री फिरोज खान में कार्यवाही कर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम कोट सोलंकियान, पटवार हल्का कोट सोलंकियान तहसील – देसूरी जिला –पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 385 रकबा 2.6600 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 386 रकबा 0.7000 हेक्टर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.3600 हेक्टर की वादग्रस्त आराजी का माफीक तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नजरी नक्शानुसार वाद में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती हैः–

क्र.स.	पक्षकार (वादी)	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)	किस्म	लगान (रूपये में)	रंग
1.	पखुसिंह पुत्र रूपसिंह, जाति– रावत, सा. गवार, तह. कुम्भलगढ, जिला– राजसमंद खातेदार हिस्सा –पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा पाली–2 रिजनल ऑफिस बागोल	385 386	2.1600 0.3821	बा.दो बा.दो	10.80 1.9100	भूरा
कुल		**02**	**2.5421**	–	**12.71**	

(हस्ताक्षर) 9.5.2024
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकार (प्रतिवादीगण)					
1. अमरदास पुत्र वरदादास, जाति–साद, हिस्सा– 616/723 सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया देसूरी 2. श्रणदास पुत्र शेषुदास जाति– साद, हिस्सा–107/1446 सा.देह खातेदार 3. बस्तीराम पुत्र वरदादास, जाति– साद, हिस्सा– 83/1446 सा.देह खातेदार 4. बालुदास पुत्र वरदादास, जाति– साद, हिस्सा– 4/241 सा.देह खातेदार	385/1 386/1	0.5000 0.3179	बा.दो बा.दो	2.50 1.59	हरा
	02	0.8179	—	4.09	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें।

(विवेक व्यास)
(विवेक व्यास) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 05 सन् 2024 को जारी किया गया।

मोहर

(विवेक व्यास) RAS
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा गुल्फरिक मिजान		

(विवेक व्यास)
9.5.2024
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner